बिहार सरकार

कृषि विभाग

उद्यान निदेशालय

(बिहार राज्य बागवानी मिशन)

बिहार राज्य के सभी जिलों में बागवानी उत्पादो के उत्पादन, संग्रहण, भण्डारण, प्रसंस्करण एवं आधारभूत बाजार संरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उद्यान निदेशालय (बिहार राज्य बागवानी मिशन, पटना) द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं:–

क्र॰ सं॰	कार्यक्रम का नाम	भौतिक संख्या	लागत व्यय प्रति इकाई	सहायतानुदान प्रति ईकाई (राशि लाख में)	अभ्युक्ति
1	पैक हाउस (Size- 9 मीटर X 6 मीटर)	35	₹4 लाख प्रति इकाई	₹2.00	क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड सब्सिडी की अनिवार्यता नहीं।
2	आसवन ईकाई (डिस्टीलेशन यूनिट)	35	₹5 लाख प्रति इकाई	₹2.50	
3	प्याज भंडारण इकाई (25 MT.)	220	₹1.75 लाख प्रति इकाई	₹0.875	
4	इन्टीग्रेटेड पैक हाउस (Size- 9 मीटर X 18 मीटर)	5	₹50 लाख प्रति इकाई	₹17.50	क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड सब्सिडी अनिवार्य।
5	मशरूम उत्पादन ईकाई	6	₹20 लाख प्रति इकाई	₹10.00	
6	मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन ईकाई	1	₹20 लाख प्रति इकाई	₹10.00	
7	मशरूम स्पॉन उत्पादन ईकाई	6	₹15 लाख प्रति इकाई	₹7.50	
8	प्राथमिक प्रसंस्करण ईकाई	1	₹25 लाख प्रति इकाई	₹12.50	
9	कोल्ड स्टोरेज	5	₹400 लाख प्रति इकाई	₹140.00	
10	रेफ्रिजरेटेड भान (9 MT.)	9	₹26 लाख प्रति इकाई	₹13.00	
11	ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी	2	₹25 लाख प्रति इकाई	₹12.50	

किसान/उद्यमी उपर्युक्त कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र परियोजना प्रस्ताव के साथ बिहार राज्य बागवानी मिशन, कार्यालय, पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, पटना–800001 को हाथों–हाथ अथवा निबंधित डाक से उपलब्ध करा सकते हैं। जिन किसानों/उद्यमियों ने सू. ज. स. वि. 7692 (नि.नि.) 16–17 दिनांक 16.10.2016 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में मिशन कार्यालय को आवेदन दिये हों उन्हें इस विज्ञापन के आलोक में आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में प्राप्त प्रस्तावों एवं इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर मुख्यालय स्तर पर गठित कमिटि SLEC (State Level Executive Committee) द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा। आवेदन पत्र जमा करने की **अन्तिम तिथि 15.02.2017** है।

किसान भाईयों/उद्यमियों से अनुरोध है कि आवेदन पत्र के साथ निम्न कागजातों को अनिवार्य रूप से संलग्न करें ताकि प्राप्त प्रस्तावों पर त्वरित निर्णय लिया जा सके :–

1. परियोजना प्रस्ताव हेतु विहित आवेदन प्रपत्र जिसमें आवेदक का फोटोग्राफ चिपकाया गया हो।
2. परियोजना हेतु चयनित भूमि का अद्यतन भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
3. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव की विवरणी के साथ अनुमानित लागत व्यय का ब्योरा एवं ले–आउट प्लान।
4. ऐसे अवयव जिसका अनुमानित लागत व्यय 5.00 लाख रूपये से अधिक है, उसके लिए बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र (क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सब्सिडी आधारित परियोजना हेतु) विहित आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. परियोजना प्रस्ताव में वर्णित प्लांट/मशीनरी का कोटेशन।

चेक लिस्ट के अनुरूप विहित प्रपत्र में परियोजना प्रस्ताव दो प्रतियों में स्पाइरल बाईडिंग करा कर निर्धारित तिथि तक बिहार राज्य बागवानी मिशन को समर्पित किया जायेगा।

नोट:– इच्छुक किसान एवं उद्यमी अपने–अपने जिला के सहायक निदेशक, उद्यान से सम्पर्क कर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र, चेक लिस्ट एवं अन्य जानकारी www.horticulture.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

11/1/17

मिशन निदेशक,
बिहार राज्य बागवानी मिशन, पटना।